

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

पी.सी. VI./ स./258.

आर.बी.सं. 66/2011.

सं.ई(पी एंड ए)II-2008/एच.आर.ए.-10

नई दिल्ली दि. 16.5.2011.

महाप्रबन्धक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,  
सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां आदि।  
(डाक सूची I और II के अनुसार).

**विषय: मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के लिए शहरों/कस्बों के पुनवर्गीकरण  
के संबंध में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार का निर्णय।**

उपर्युक्त विषय पर बोर्ड के दिनांक 12.9.2008 के समसंख्यक पत्र के पैरा 6 के तहत (i) फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, नोयडा और गुड़गांव के लिए "एक्स" श्रेणी के शहरों की दरों पर और (ii) जालंधर छावनी, शिलांग, गोवा और पोर्ट ब्लेयर के लिए "वाई" श्रेणी के शहरों की दरों पर मकान किराया भत्ता का विशेष भुगतान जारी रखने की अनुमति प्रदान की गई है, की तरफ ध्यानाकर्षित किया जाता है तथा यह बताया जाता है कि बोर्ड के दिनांक 19.08.2003 के पत्र संख्या ई (पी एंड ए) II-2003/एच.आर.ए.-6 के तहत पंचकुला के लिए चंडीगढ़ के बराबर मकान किराया भत्ते की विशेष अनुमति भी जारी रहेगी।

2. इस संदर्भ में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अन्य शहरों के संबंध में उच्चतर दरों पर मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के लिए विगत में इस बोर्ड द्वारा अनुमत किसी अन्य समान प्रकार की विशेष अनुमति जिनका दिनांक 12.09.2008 के समसंख्यक पत्र में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, जारी रहेंगी, यदि उसका अधिक्रमण नहीं किया गया है/समाप्त नहीं किया गया है अथवा दिनांक 12.09.2008 के पत्र के तहत जनसंख्या मापदंड के कारण ऐसे शहर के विद्यमान वर्गीकरण को उच्चतर वर्गीकरण में संशोधित नहीं किया गया है।

3. ये आदेश 1 सितम्बर, 2008 से प्रभावी होंगे।

4. विद्यमान आदेशों के तहत मकान किराया भत्ता को संचालित करने वाले अन्य सभी शर्तों लागू रहेंगी।

5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

मो. सलीम अहमद

(सलीम मो. अहमद)


उपनिदेशक/स्था.(वे.एवंभ.)III,

रेलवे बोर्ड.

सं.ई(पी एंड ए)II-2008/एच.आर.ए.-10

नई दिल्ली दि. 16.5.2011.

प्रतिलिपि: भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224,  
नई दिल्ली-110001(40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) को प्रेषित।




कृते वित्त आयुक्त/रेलवे

सं.ई(पी एंड ए)II-2008/एच.आर.ए.-10

नई दिल्ली दि. 16.5.2011

- प्रतिलिपि: 1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां आदि को प्रेषित।
2. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, 16 अशोक रोड, लखनऊ.
3. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), ई II (बी) अनुभाग, नार्थ ब्लॉक, नई-दिल्ली-110001 को उनके दिनांक 4.3.2011 के का. जापन सं.2(13)/2008-ई(बी) के संदर्भ में।

  
(सलीम मो. अहमद)  
उपनिदेश /स्था.(वे. एवं भ.)III,  
रेलवे बोर्ड.

सं.ई(पी एंड ए)II-2008/एच.आर.ए.-10

नई दिल्ली दि. 16.5.2011.

1. महासचिव, ए.आइ.आर.एफ. (35 प्रतियों सहित)।
2. महासचिव, एन.एफ.आई.आर. (35 प्रतियों सहित)।
3. राष्ट्रीय परिषद (जे.सी.एम.) के सभी सदस्य एवं सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 प्रतियों सहित)।
4. महासचिव, फैंडरेशन ऑफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन (5 प्रतियों सहित)।
5. महासचिव, इरपोफ (5 प्रतियों सहित)।
6. महासचिव, आल इंडिया आर.पी.एफ एसोसिएशन (5 प्रतियों सहित)।
7. सचिव, इंडियन रेलवे क्लास-II आफिसर्स एसोसिएशन (5 प्रतियों सहित)।
8. सचिव, आर.बी.एस.ग्रुप ए आफिसर्स एसोसिएशन (5 प्रतियों सहित)।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप बी आफिसर्स एसोसिएशन (5 प्रतियों सहित)।
11. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप डी कर्मचारी संघ (5 प्रतियों सहित)।
12. महासचिव, आल इंडिया एस.सी./एस.टी. रेलवे स्टाफ एसोसिएशन, कमरा नं.8, रेल भवन (5 प्रतियों सहित)।

  
कृते सचिव/रेलवे बोर्ड

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

S.No.PC-VI/258

RBE No.66/2011.

No.E(P&A)II-2008/HRA-10

New Delhi, dated 16-5-2011.

The General Managers/CAOs,  
All Indian Railways & Prod.Units etc,  
(as per mailing lists No.I & II).

**Subject : Decision of the Government on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission relating to re-classification of cities/towns for grant of House Rent Allowance (HRA) to Railway employees.**

\*\*\*\*\*

Attention is invited to para 6 of Board's letter of even number dated 12.9.2008 on the above mentioned subject, vide which the special dispensation for grant of HRA has been allowed to continue to (i) Faridabad, Ghaziabad, Noida & Gurgaon at "X" class city rates and (ii) Jalandhar Cantt., Shillong, Goa & Port Blair at "Y" class city rates and to state that the special dispensation allowed to Panchkula for grant of HRA at par with Chandigarh vide Board's letter No. E(P&A)II-2003/HRA-6 dated 19.8.2003, shall also continue.

2. In this context, it is also clarified that any other similar special dispensation allowed by the Railway Board in the past in respect of other cities for grant of HRA at higher rates and not specifically mentioned in Board's letter of even no. dated 12.9.2008, shall continue to apply, if the same has not been superceded/dispensed with or the existing classification of such city has not been revised to a higher classification on account of the population criteria, vide Board's letter of even no.dated 12.9.2008.

3. These orders shall be effective from **1st September, 2008.**

4. All other conditions governing grant of HRA under existing orders shall continue to apply.

5. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

*Salim Md. Ahmed*

( Salim Md. Ahmed )  
Deputy Director/E(P&A)III,  
Railway Board.

No.E(P&A)II-2008/HRA-10

New Delhi, dated 16-5-2011.

Copy (with 40 spares) forwarded to the Deputy Comptroller & Auditor General of India, Room No.222, Rail Bhawan, New Delhi.

*Sehat*

for Financial Commissioner/Railways.